कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1998 /आउशि/शा–2/2017 भोपाल, दिनांक 29/8/17

प्रति,

1. **समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,**
   उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषय :–अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के सम्बंध में शिकायतों का निवारण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिथि विद्वान के आवेदनों पर सत्यापन की कार्यवाही अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा की जा रही है, परन्तु अनेक आवेदक सत्यापन में आ रही परेशानियों को लेकर संचालनालय में उपस्थित हो रहे हैं। अनेक प्रकरणों में यह पाया भी जा रहा है कि नियमों के अधीन सत्यापन योग्य होने के बावजूद किसी न किसी संदेह को जताते हुए सत्यापन का कार्य नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है क्योकि अवधि विशेष में सत्यापन का कार्य किया जाना होता है एवं सत्यापन नहीं किये जाने पर आवेदक पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

अतः इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. शासनादेश दिनांक 08.08.2016 की कंडिका 2.10 के अनुसार प्रस्तुत प्रमाण–पत्रो/दस्तावेजों पर ही आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अन्य प्रकार की आपत्तियां इस प्रक्रिया में मान्य योग्य नहीं है। अतः उचित आपत्तियों को ही मान्य किया जाए तथा नियमों से पृथक गैर जरूरी आपत्तियों का संज्ञान नहीं लिया जाए।
2. यदि किसी आवेदन को अमान्य किया जाता है तो स्पष्ट रूप से अमान्य किये जाने का कारण का उल्लेख किया जाये, किसी भी आवेदन को आवेदक के उपस्थित होने पर मान्य या अमान्य नियमानुसार किया जाए एवं आवेदनकर्ता को बिना किसी उचित कारण के सत्यापन करने से मना नहीं किया जाए। प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से इस हेतु जिम्मेदार होंगे।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के कार्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन इस प्रक्रिया के लिए किया जाए तथा अग्रणी महाविद्यालयों में आ रही समस्याओं का नियमों के अंतर्गत त्वरित निदान इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अतिरिक्त संचालकों द्वारा किया जाए। यदि किसी प्रकरण विशेष में संचालनालय के मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो अपने अभिमत के साथ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक राजपत्रित शाखा के ईमेल पर प्रकरण भेजते हुए दूरभाष पर भी अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें।

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक(प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक 1999/आउशि/शा–2/2017 भोपाल, दिनांक 29-8-17

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा।
3. आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.